भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 250

(जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2025/11 अग्रहायण,1947 (शक) को दिया जाना है)

मुंबई को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाना

250 श्री मिलिंद मुरली देवरा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गिफ्ट सिटी के अतिरिक्त मुंबई को सिंगापुर, दुबई और हांगकांग जैसे वैश्विक केंद्रों के समान एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्र में विकसित करने का प्रस्ताव रखती है;

(ख) यदि हां, तो फिनटेक और पूंजी बाजार में मुंबई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने हेतु कौन-कौन से विशिष्ट नीतिगत उपाय और संस्थागत सुधार लागू करने की योजना है;

(ग) क्या सरकार एमएसएमई तथा स्टार्टअप्स के लिए फेसलेस आकलन, केस मैनेजमेंट सिस्टम और 'विवाद से विश्वास' योजना जैसी अनुपालन-सहजता के उपायों का अधिक प्रभावी विस्तार करने की योजना बना रही है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने की रूपरेखा क्या है कि भारत का कर एवं विनियामक ढांचा घरेलू उद्यमियों का समर्थन करे और स्टार्टअपों एवं पूंजी को विदेशी अधिकार-क्षेत्रों की ओर जाने से रोके?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): फेसलेस असेसमेंट, केस-मैनेजमेंट सिस्टम और विवाद से विश्वास तंत्र एमएसएमई और स्टार्ट-अप सहित करदाताओं की सभी श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं। धारा 80-आईएसी के तहत पात्र स्टार्ट-अप के लिए लाभ से जुड़ी कटौती जैसे कई सक्षमकर्ता; धारा 79 के तहत पात्र स्टार्ट-अप के लिए घाटे के कैरी-फॉरवर्ड और सेट-ऑफ में छूट; 1 अप्रैल 2025 से धारा 56(2)(viiख) के तहत एंजेल टैक्स का उन्मूलन; धारा 44कघ के तहत अनुमानित कराधान के लिए एक बढ़ी हुई सीमा; आयकर अधिनियम और अन्य विनियामक ढांचे के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए धारा 43ख में संशोधन का प्रावधान किया गया है।
